Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील / टी.ए. / 830 / 2003 / श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

....अपीलांट

बनाम

1. पोकर पुत्र धोकल जाति मेंघवशी साकिन खिचीया तह0रायसिंहनगर (फोत)

2. टेकसिंह पुत्र चगडसिंह जाति जटसिख नि068 एल0एन.पी.
   तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

3. जगरसिंह पुत्र झण्डासिंह (मृतक) के जायज वारिसान–
   3 / 1. श्रीमती पंजाबकौर बेवा जगरसिंह
   3 / 2. नक्षत्रसिंह (मृतक) जरिये कायम मुकाम–
   3 / 2 / 1. गुरदीपकौर बेवा नक्षत्रसिंह
   3 / 2 / 2. गुरचरणसिंह
   3 / 2 / 3. हरजिन्द्रसिंह
   3 / 2 / 4. बलविन्द्र सिंह
   पिसरान नक्षत्रसिंह जट सिख

4. जलकौर
5. गुडडी
   पुत्रियां जगरसिंह जटसिख

6. गुरदेवकौर पुत्री जगरसिंह (फोत) पत्नी महेन्द्रसिंह
   6 / 1. देवेन्द्रसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह
   6 / 2. गुरमीतकौर पुत्री महेन्द्रसिंह
   6 / 3. गुरप्रीतकौर पुत्री महेन्द्रसिंह
   जाति जटसिख साकिन 68 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर
   जिला श्रीगंगानगर

7. विचित्रसिंह
8. मलकितसिंह
9. जीतसिंह
   पुत्रान जगरसिंह जटसिख 68 एल.एन.पी.तह0पदमपुर

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री रवि प्रकाश शर्मा, सदस्य

उपस्थित–
श्री वी.पी.सिंह, राजकीय अभिभाषक
श्री सतवीर सिंह सिद्धू, अभि0रेस्पोडेन्ट

दिनांक 27.4.2018

निर्णय

यह द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5–1–2002 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट/वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजूदा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पोकरराम के पास चक 68 एल.एन.पी. के मु0नं0 92 की 10.15 बीघा नहरी भूमि है जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है जिसे प्रति0/रेस्पो0सं.2 टेकसिंह को सबलेट किया हुआ है, जो कि जाति से सवर्ण है एवं दिनांक 8–7–61 को बेचान किया है जिसका इन्द्राज जमाबंदी में है जो कि धारा 46–ए एवं धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित है इस कारण भूमि को बहक सरकार लिया जावे। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 30–7–84 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील पेश की गई जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 5–1–2002 द्वारा अस्वीकार कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट पक्ष की ओर से यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3. इस मामले में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पोकर की मृत्यु के संबंध में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 (ए) सीपीसी का पेश हुआ, जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पोकर की मृत्यु दिनांक 28–6–2010 को होना बताया गया

है। मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न किया गया। उपरोक्त सूचना के बावजूद भी प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कायम मुकामान को विहित अवधि में पक्षकार नहीं बनाया गया जिस पर शेष रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता का यह तर्क रहा कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विधिक वारिसान को भी समयावधि के भीतर रेकार्ड पर नहीं लिया गया है अतः उक्त अपील सोमोटो अबेट हो गई है किन्तु अपीलांट पक्ष की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि इस मामले में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मृत्यु के पश्चात भी राइट टू स्यू सरवाइव करता है अतः ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण अपील को अबेट नहीं माना जा सकता। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात हमारा यह मानना है कि चूंकि प्रकरण में शेष रेस्पोडेन्ट के खिलाफ अभी भी राइट टू स्यू सरवाइव करता है अतः प्रकरण अबेट माना जाना न्यायोचित नहीं है।

4. प्रकरण में अपीलांट पक्ष की ओर से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है एवं द्वितीय अपील प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है उसे क्षम्य किये जाने का निवेदन किया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारणों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट पक्ष की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि जब प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट के द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया था कि उनके द्वारा भूमि को खरीद किया है तब ऐसे वोइड हस्तान्तरण को कानूनन मान्यता नहीं होने से केवल मात्र मियाद के आधार पर एवं रेसज्यूडिकेटा लागू होना मानकर अपीलांट/वादी का वाद एवं अपील खारिज करने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने भारी भूल की है जबकि पूर्व वाद में पारित निर्णय गुणावगुण पर आधारित नहीं था किन्तु इस महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु को नजरअंदाज कर आक्षेपित निर्णय पारित किये हैं जो पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय अपास्त किये जावे तथा वादग्रस्त भूमि को बहक सरकार रिज्यूम किया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलांट पक्ष के तर्को का प्रबल विरोध किया एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

7. दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट पक्ष की ओर से प्रस्तुत सम्मानित न्यायिक विनिश्चय आरबीजे (17) 2010 पेज 628 का आदरपूर्वक अवलोकन किया। तत्पश्चात् हमारा निष्कर्ष निम्न प्रकार से है।

8. विचारण न्यायालय नेअपीलांट पक्ष की ओर से प्रस्तुत वाद को मियाद बाहर होने एवं रेसज्यूडिकेटा लागू होने के आधार पर खारिज किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्थिति उभर कर सामने आते है कि विवादित भूमि के संबंध में अपीलांट पक्ष की ओर से पूर्व में भी धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद संख्या 951/76 पेश किया गया था जो दिनांक 27–4–78 को निरस्त कर दिया गया, ऐसी स्थिति में रेसज्यूडिकेटा का सिद्धांत लागू होने से अपीलांट का वाद नहीं चल सकता था एवं जिसे दृष्टिगत रखते हुए ही विचारण न्यायालय ने अपीलांट/वादी के वाद को सही रूप से खारिज किया है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी उक्त विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट की अपील को खारिज किया है, जो समुचित है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती हैं जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 5–1–2002 एवं 30–7–84 बहाल रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि प्रकाश शर्मा)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष